



4
8200

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
631 13-8-2016	13-8-2016	13-8-2016	



ग्रामीण विकास विभाग, केरल



नकल आदेश

न्यायालय उपजिलाधिकारी केरल जौनपुर
बाद सं० 169 - धारा 143 जणके अधिनियम
श्रीजा कोषा पराना केरल जिला जौनपुर
आचार्य बलदेव कालेज वनाभ सरकार
आदेश दिनांक 12-8-2016 ई०
आदेश दिनांक 12-8-2016 ई० को कोषा अधिनियम लागू में
संलग्न है।

205

न्यायालय उपजिलाधिकारी, केराकत-जौनपुर
वाद संख्या-169 धारा-143 ज0वि0अधि0
मौजा-कोपा, परगना-केराकत
आचार्य बलदेव कालेज बनाम सरकार
निर्णय

प्रस्तुत कार्यवाही आवार्य बलदेव कालेज कोपा पतरही जौनपुर ट्रस्टी अनिल कुमार यादव पुत्र श्री रामकरन यादव निवासी ग्राम- कोपा, तहसील व परगना- केराकत, जनपद- जौनपुर ने सरकार को बतौर विपक्षी बताते हुए मौजा-कोपा, परगना-केराकत जनपद जौनपुर स्थित आराजी संख्या 1063नि0 कुल रकबा 1.802 हे0 को कृषि रो भिन्न प्रयोजनार्थ आबादी घोषित करने हेतु धारा-143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत दाखिल किया। प्रार्थना पत्र की जांच आख्या तहसीलदार दिनांक 05.08.2016 को प्राप्त हुई। मैंने पत्रावली एवं जांच आख्या तहसीलदार दिनांक 10.08.2016 का अच्छी प्रकार से अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उद्धरण स्वामी के आराजी नं0 1063नि0 कुल रकबा 1.802 हे0 आचार्य बलदेव कालेज कोपा पतरही जौनपुर के नाम से अभिलेख कागजात में अंकित है, जो बतौर संक्रमणीय भूमिघर दर्ज है।

तहसीलदार ने अपनी आख्या से स्पष्ट किया है कि आराजी का उपयोग कृषि कार्य में न होकर आबादी के रूप में हो रहा है। कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ प्रख्यापित किये जाने की संरतुति की गयी है। आख्या तहसीलदार उक्त के आधार पर पुष्टिकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आख्या तहसीलदार दिनांक 10.08.2016 की पुष्टि की जाती है, और मौजा-कोपा, परगना-केराकत जनपद जौनपुर स्थित आराजी संख्या 1063नि0 कुल रकबा 1.802 हे0, भूमि को अकृषित/आबादी घोषित किया जाता है तथा लगान मुक्त किया जाता है। वाद अमलदरानद पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक - 12-08-2016



आज का निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं घोषित।

नफल फल
मिताम फल
कुल संख्या 120

पेराकर
उपजिलाधिकारी
केराकत-जौनपुर

